

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

**RAJYA SABHA**  
**STARRED QUESTION NO. 112**  
TO BE ANSWERED ON 08.12.2021

**PRADHAN MANTRI MATRU VANDANA YOJANA (PMMVY)**

112. SHRI DEREK O' BRIEN:

Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) whether benefits of the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) are limited to the first birth, which excludes 86 percent of pregnant and lactating women;
- (b) whether steps are being taken to extend protection to these excluded women, the details thereof;
- (c) the funds disbursed for the same so far; and
- (d) the measures being taken to extend maternity benefits to women in the unorganised sector, the funds disbursed for the same so far?

**ANSWER**

MINISTER FOR WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT  
(SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI)

- (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

\*\*\*\*\*

**\*112: Statement referred to in reply to part (a) to (d) of the Rajya Sabha Starred Question No. 112 for answer on 08.12.2021 raised by Shri Derek O' Brien regarding Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)**

(a) to (d) The maternity benefit under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) is available to the eligible beneficiaries for first living child of family. Normally, the first pregnancy of a woman exposes her to new kinds of challenges and stress factors. Hence, the scheme provides support for wage compensation to the mother for safe delivery and immunization of her first living child.

As per Sample Registration System Statistical Report (SRS) 2018, published by the Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, the percentage of first order births in India is 49.5 % of the total live births. PMMVY covers all Pregnant Woman & Lactating Mothers (PW&LM), excluding PW&LM who are in regular employment with the Central Government or the State Governments or the Public Sector Undertakings (PSUs) or those who are in receipt of similar benefits under any law for the time being in force. PW&LM are also entitled for Supplementary Nutrition under Anganwadi Services, which is a Centrally Sponsored Scheme.

Apart from PMMVY and Anganwadi Services, various schemes run by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, for Pregnant Women are as follows;

- **Janani Suraksha Yojana (JSY)** implemented under the National Health Mission (NHM) is a safe motherhood intervention promoting institutional delivery among pregnant women especially with weak socio-economic status i.e. women from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Below Poverty Line (BPL) households. Financial assistance under JSY is available to all pregnant women in those States/ UTs which have low institutional delivery rates, namely, the states of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand which are categorized as Low Performing States. However, in remaining States/UTs where the levels of institutional delivery are satisfactory (categorized as High Performing States), pregnant women from BPL/SC/ST households only are entitled for JSY benefits. For home delivery, financial assistance under JSY is available to pregnant women from BPL households only.
- **Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)** The Government of India launched Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK) in June 2011 to eliminate out-of-pocket expenses for pregnant women delivering in public health institutions and sick infants accessing public health institutions for treatment. The initiative entitles all pregnant women delivering in public health institutions to have absolutely free and no expense delivery, including caesarean section. The entitlements include free drugs, consumables, free diet during stay, free diagnostics and free blood transfusion, if required. This initiative also provides free transport from home to institution, between facilities in case of a referral and drop back home. In 2013, the scheme was expanded to cover all services during antenatal period including care of complications and post-natal period up to 42 days after delivery and also sick infants up to 1 year of age.

- **Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA)** provides pregnant women on a fixed day (9<sup>th</sup> day of every month), free of cost assured and quality Antenatal Care. Since inception, more than 3.02 crore antenatal check-ups have been conducted and 25.46 lac high risk pregnancies have been identified under Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) across States/ UTs till 04.12.21.
- **Surakshit Matratva Ashwasan (SUMAN)** aims to provide assured, dignified, respectful and quality healthcare at no cost and zero tolerance for denial of services for every woman and newborn visiting the public health facility to end all preventable maternal and newborn deaths. Till 01.12.2021, 9944 facilities have been notified under Surakshit Matritva Ashwasan (SUMAN).
- **LaQshya-** aims to improve the quality of care in Labor room and Maternity operation theaters to ensure that pregnant women receive respectful and quality care during delivery and immediate post-partum. Till 01.11.2021, 418 labor rooms and 345 maternity operation theaters are LaQshya National certified. As on 22.11.2021, maternity benefits of ₹9420.58 crores (including Central and State share) have been disbursed amongst more than 2.17 crores eligible beneficiaries under PMMVY, including beneficiaries from the un-organised sector, since inception of the scheme.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*112  
दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

\*112 श्री देरेक ओब्राईन:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लाभ पहले बच्चे के जन्म तक ही दिए जाते हैं, जिसकी वजह से गर्भवती व स्तनपान कराने वाली 86 प्रतिशत महिलाएं इसके दायरे में नहीं आती ;
- (ख) क्या इसके दायरे में नहीं आने वाली महिलाओं को भी यह सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
- (ग) इसके लिए अब तक कितनी निधि संवितरित की गई है; और
- (घ) असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को प्रसूति संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और इसके लिए अभी तक कितनी निधि संवितरित की गई है ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

- (क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के संबंध में श्री देरेक ओब्राईन द्वारा दिनांक 08.12.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 112 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण**

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत प्रसूति संबंधी लाभ पात्र लाभार्थियों के परिवार के सबसे पहले जन्म लेने वाले जीवित बच्चे के लिए ही उपलब्ध है। सामान्यतया, महिला की पहली गर्भावस्था के दौरान उसे नई प्रकार की चुनौतियों और तनाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह स्कीम उसे सुरक्षित प्रसव तथा उसके पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण के लिए माता को मजदूरी संबंधी मुआवजा के लिए सहायता प्रदान करती है।

रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, भारत, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सैपल पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट (एसआरएस) 2018 के अनुसार, भारत में पहले बच्चे के जन्म का प्रतिशत जन्म लेने वाले कुल जीवित बच्चों का 49.5 प्रतिशत होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उन सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की नियमित कर्मचारी हैं या जिन्हें कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य विधि के अधीन इसी प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं, को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू व एलएम) को शामिल किया गया है। पीडब्ल्यू एवं एलएम, आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण के लिए भी पात्र है, जो एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों में निम्नलिखित है :

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लागू की जा रही **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)** गर्भवती महिलाओं विशेष रूप से कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली गर्भवती महिलाओं जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली (बीपीएल) महिलाओं में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने वाली एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप योजना है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां संस्थागत प्रसव की दरें कम होती हैं जैसे कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड, जिन्हें कम निष्पादन वाले राज्यों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, में रहने वाली सभी गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध है। किंतु शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां संस्थागत प्रसव का स्तर संतोषजनक (उच्च निष्पादन वाले राज्यों के रूप में श्रेणीबद्ध) है, में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले/अनुसूचित जाति के घरों की गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं। घर में होने वाले प्रसव के लिए, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घरों की गर्भवती महिलाओं के लिए ही उपलब्ध है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव करने वाली गर्भवती महिलाओं और उपचार के लिए जन स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले बीमार बच्चों के लिए अतिरिक्त खर्च को समाप्त करने के लिए जून, 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) की शुरुआत की थी। यह पहले जन स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव करने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन सहित बिल्कुल निःशुल्क और बिना किसी खर्च के प्रसव का पात्र बनाती है। इन पात्रों में निःशुल्क दवाई, खाद्य पदार्थ, रहने के दौरान निःशुल्क भोजन, निःशुल्क जांच और यदि आवश्यक हो तो निःशुल्क खून चढ़ाना शामिल है। इस पहल में घर से संस्था तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन, रेफरल और वापस घर जाने तक के मामले में सुविधा की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष 2013 में, इस स्कीम को प्रसव के पश्चात 42 दिनों की कठिनाई और गर्भावधि तथा एक वर्ष तक की आयु के बीमार बच्चों सहित प्रसवपूर्व अवधि के दौरान सभी सेवाओं को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया था।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह के नौवें दिन निर्धारित दिन, निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापरक प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता है। इस अभियान की शुरुआत से, दिनांक 04.12.2021 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत 3.02 करोड़ से अधिक प्रसव पूर्व जांच की जा चुकी है तथा 25.46 लाख उच्च जोखिम वाले प्रसव को चिन्हित किया जा चुका है।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** का लक्ष्य सभी निवारणयोग्य मातृत्व और नवजात बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधा में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात बच्चे की सेवाओं की अस्वीकृति के लिए शून्य लागत और शून्य सहनशीलता पर सुनिश्चित, प्रतिष्ठापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। दिनांक 01.12.2021 तक सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) के अंतर्गत 9944 सुविधाओं को अधिसूचित किया जा चुका है।
- **लक्ष्य :** लक्ष्य का उद्देश्य प्रसव कक्ष और मातृत्व प्रचालन थियेटरो में देखभाल की गुणवत्ता को सुधारना है ताकि गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान और उसके बाद उन्हें सम्मानजनक और गुणवत्तापरक देखभाल मिल सके। 01.11.2021 तक, 418 लेबर रूम तथा 345 मातृत्व प्रचालन थियेटर राष्ट्रीय लक्ष्य प्रमाणित हैं। दिनांक 22.11.2021 तक की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के शुरुआत से असंगठित क्षेत्र के लाभार्थियों सहित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 2.17 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों के बीच 9420.58 करोड़ रुपये (केंद्र और राज्य के हिस्से सहित) के मातृत्व लाभ वितरित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no supplementary. Now, Q. No. 113; माननीय राम नाथ ठाकुर जी।